फा.सं.19030/1/2017-ई.IV

भारत सरकार

व्यय विभाग

ई.IVअनुभाग

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,
01 फरवरी, 2018

कार्यालय ज्ञापन

विषय: यात्रा भत्ता नियम - सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन।

यात्रा भत्ते के संबंध में सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के बारे में इस विभाग के दिनांक 13.07.2017 का समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन जारी किए जाने के फलस्वरूप इस विभाग में अनेक पत्र प्राप्त हुए हैं जिनमें सरकारी कर्मचारी के निशुल्क भोजन व्यवस्था एवं आवास सुविधा का लाभ उठाने की स्थिति में दैनिक भत्ते की स्वीकार्यता के संबंध में स्पष्टीकरण मांगे गए हैं ।

2. छठे केन्द्रीय वेतन आयोग ने होटल आवास, भोजन बिल और टैक्सी प्रभारों के वाउचर प्रस्तुत करने पर उनकी प्रतिपूर्ति की शुरूआत करके दैनिक भत्ते की पुरानी अवधारणा बदल दी थी। चूंकि यह एक नई अवधारणा थी, इसलिए, कर्मचारियों को 5वें केन्द्रीय वेतन आयोग की दैनिक भत्ते की पुरानी एकल दर अथवा छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार व्यय की प्रतिपूर्ति पर आधारित दैनिक भत्ते की नई व्यवस्था का चयन करने का विकल्प दिया गया था। 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग ने होटल आवास, भोजन बिल और टैक्सी प्रभारों की प्रतिपूर्ति की अवधारणा को इस अपवाद के साथ जारी रखने की सिफारिश की है कि भोजन बिलों के लिए वाउचर का प्रस्तुत किया जाना आवश्यक नहीं है।

3. इस विभाग में निशुल्क भोजन व्यवस्था एवं आवास के मामले में दैनिक भत्ते की स्वीकार्यता से संबंधित मामले पर विचार किया गया है। सरकारी कर्मचारियों को दैनिक भत्ता, दौरे के दौरान उस स्टेशन पर ठहरने, भोजन एवं यात्रा पर उनके द्वारा किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति के रूप में दिया जाता है। निशुल्क भोजन व्यवस्था एवं आवास के मामले में, यदि सरकारी कर्मचारी स्थानीय यात्रा पर कोई व्यय करता है, तो वह दिनांक 13.07.2017 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन के अनुलग्नक के पैरा 2 ङ (i) और (iii) के अनुसार उसका दावा कर सकता है। 25% दैनिक भत्ता दिए जाने की पिछली व्यवस्था समाप्त की जा रही है। इसके अतिरिक्त, सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यन्वयन के पश्चात् पांचवे केन्द्रीय वेतन आयोग की दैनिक भत्ते की दरों की सुविधा समाप्त की जाती है।

4. इसे सचिव (व्यय) के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

निर्मला देव

(निर्मला देव)
उप सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग (मानक वितरण सूची के अनुसार)।
प्रतिलिपि:- भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक और संघ लोक सेवा आयोग आदि (मानक पृष्ठांकन सूची के अनुसार)।